

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)
क्रमांक:-एफ.4(ई)(आर-563/2023)/अलेसे-II/175 दिनांक :- 15/01/26

कार्यालय आदेश

श्री ऋषि कुमार, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) रोल नं. 775694 को कार्यालय तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर के पत्र क्रमांक 303 दिनांक 31.10.2025 के द्वारा अग्रेषित प्रार्थना-पत्र के आधार पर एवं वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर की डायरी संख्या 3174 दिनांक 22.12.2025 द्वारा प्राप्त सहमति के उपरांत राजस्थान सेवा नियम खण्ड-प्रथम के नियम-96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 एवं दिनांक 22.02.2021 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 03.11.2025 से 18.03.2026 तक कुल 136 दिवस

उक्त 136 दिवस के असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री ऋषि कुमार, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें। उपरोक्तानुसार स्वीकृत असाधारण अवकाश की अवधि तक के लिए कार्मिक के परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जाएगी।

यह निदेशक महोदया से अनुमोदित है।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

क्रमांक:-एफ.4(ई)(आर-563/2023)/अलेसे-II/175 दिनांक :- 15/01/26
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 कार्यालय तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर ।
- 2 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
- 3 श्री ऋषि कुमार, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) रोल नं. 775694 को कार्यालय तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर ।
- 4 संयुक्त निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 रक्षित/निजी पत्रावली।

Signature valid
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)
Digitally signed by Seema Kaur
Designation: Joint Director
Date: 2026.01.13 12:41:36 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19789425

eSign 1.0

